राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री भजनलाल शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं।

——— मोहन यादव, सीएम, मप्र

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब आठ अरब डॉलर की है और इसमें 45,000 लोग काम करते हैं।

——— हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री

समय से पूर्ण हो एयरपोर्ट का निर्माण : मुख्य सचिव

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा।

प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित ज्वाइंट को-आर्डिनेशन कमेटी की पांचवीं बैठक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर शुक्रवार को हुई। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विकास के संबंध में हुई प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट की एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. ने बताया कि परियोजना हेतु डेवलपमेंट प्लान के अनुसार एयरपोर्ट के विकास के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर टाटा प्रोजेक्ट ने टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी और रनवे का कार्य प्रगति पर है। मशीनरी और वर्क फोर्स एयरपोर्ट साइट पर बढ़ाया गया। एयरपोर्ट का निर्माण समय से पूरा होगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट का विकास माइल स्टोन के अनुसार समय से सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाए।

जेवर एयरपोर्ट के लिए गठित ज्वाइंट को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक

जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। फोटो : एसएनबी

बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए सीआईएसएफ, कस्टम, आईएमडी, सीएनएसएटीएम, सिक्योरिटी से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। मिश्रा ने निर्देश दिए कि कंसेशनर सभी विभागों की जरूरत व प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई कराएं और समस्या का समय से निस्तारण कराएं। समन्वय हेतु विभाग और मंत्रालय से पृथक से बैठक कर लें। समिति की अगली बैठक से पूर्व लंबित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ नायल डॉ. अरुणवीर सिंह, निदेशक सिविल एविएशन कुमार हर्ष, नायल के नोडल आफिसर शैलेंद्र भाटिया, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, एसीईओ श्रुति, कपिल सिंह, विपिन जैन, कंसेशनयर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. के सीईओ क्रिस्टोफ सैल्मन, चीफ ऑपरेटिंग आफीसर किरन जैन तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने किया यीडा के सेक्टरों का दौरा

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32, तथा 33 का दौरा किया। सेक्टर-28 में विकसित किए जा रहे देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क के अंतर्गत किए जा रहे विकास व निर्माण कार्यों की भौतिक समीक्षा की। यह मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सीएफसी फैसिलिटिज के बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इनमें मुख्यत: रैपिड प्रोटोटाइम एंड टेस्टिंग फेसिलिटी, इलेक्ट्रानिक असेंबली फेसिलिटी, एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन इन्क्यूबेशन सेंटर समेत अन्य विश्व स्तरीय फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी।

मुख्य सचिव ने अपैरल पार्क क्लस्टर, सेक्टर-32 व सेक्टर-33 के क्लस्टर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सेक्टर-32 स्थित सूर्या ग्लोबल कंपनी प्लांट का भ्रमण भी किया। मुख्य सचिव ने यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा की। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने मास्टर प्लान 2041 के संबंध में जानकारी दी। सीईओ ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर को चोला रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की योजना के संबंध में अवगत कराया। साथ ही मथुरा में हेरिटेज सिटी व अलीगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क योजनाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।

इंटरचेंज बनने से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी सुगम : सीएस

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा और जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने जगनपुर अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेस वे व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए इंटरचेंज के कार्य का शुभारंभ किया। इंटरचेंज 123 करोड़ रुपए की लागत से 18 माह में बनकर तैयार होगा। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह इंटरचेंज जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नोएडा एयरपोर्ट जेवर से गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर के लोगों को भी सहूलियत होगी। साथ ही आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस के लोग भी इंटरचेंज बनने पर नोएडा ग्रेटर नोएडा बिना जाए सीधे मेरठ और गाजियाबाद जा सकेंगे। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने कहा कि इंटरचेंज के बनने से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और सुगम होगी। ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। धन और समय दोनों की बचत होगी। इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष वर्मा, सीईओ डा. अरुणवीर सिंह, एसीईओ कपिल सिंह, विपिन जैन, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, शैलेंद्र सिंह, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह आदि मौजूद थे।

जगनपुर अफजलपुर इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू

जेवर के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज के कार्य का उद्घाटन करते प्रदेश के मुख्य सचिव। फोटो : एसएनबी

कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार थमी

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। कोहरे व धुंध को देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार कम कर दी गई है। बृहस्पतिवार रात 12 बजे से यह नियम लागू हो गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं यमुना एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर ओवर स्पीड पर चलने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। ओवरस्पीड वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे।

सर्दियों के मौसम में कोहरा व धुंध बढ़ जाती है। दृश्यता कम होने से यमुना एक्सप्रेस वे हादसे अधिक होते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने हादसों को टालने के लिए 15 दिसम्बर से 15 फरवरी 2024 तक वाहनों की रफ्तार कम करने के निर्देश दिए हैं। कार की गति 100 से घटाकर 75 किमी. प्रति घंटा कर दी है। वहीं 80 किमी. प्रति घंटा वाले वाहनों की गति 60 किमी. प्रति घंटा कर दी गई है। सीईओ ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण व जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड संयुक्त रूप से वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए जाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को पर्चे बांटकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही एक्सप्रेस वे पर पुलिस गश्त और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओवर स्पीड वाहनों के चालान काटे जाएंगे।

सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर ओवर स्पीड वाहनों पर रखी जाएगी नजर

ओवर स्पीड वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे

एमओयू को निवेश में तब्दील करें : डीएस मिश्रा

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने इनवेस्टर समिट में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से किए गए एमओयू को अधिक से अधिक निवेश में तब्दील कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्राप्त 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश है। निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण औद्योगिक भूखंडों की स्कीम ओपन करने जा रहा है। बैठक में प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जा रही ऑनलाइन सर्विस सेवाओं पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने की ग्रेनो प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा

सीईओ ने किसानों को दी गई सुविधाएं और बिल्डर्स व बायर्स विवाद को खत्म करने के लिए बैठकें कराने के बारे में जानकारी दी। चार मूर्ति चौक पर अंडरपास व आठ जगहों पर फुटओवर ब्रिज का काम शीघ्र शुरू करने की तैयारी है।

डीसीपी ट्रैफिक ने किया सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का उद्घाटन

नोएडा (एसएनबी)। डीएम मनीष वर्मा के नेतृत्व में जनपद गौतमबुद्धनगर में 15 से 31 दिसम्बर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल यादव ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय नोएडा से द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई तथा सभी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें करीब 25 प्रचार वाहनों में सड़क सुरक्षा नियमों व तस्वीर समेत बैनर एवं पोस्टर लगाए गए। इसमें परिवहन व पुलिस विभाग यातायात की ओर से 18 बाइक, 25 प्रचार वाहन व 500 लोगों ने प्रतिभाग किया।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 **कॉर्पोरेट पहचान संख्या** – L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com

अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां) कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 19–05–2022 को लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार, की कर्जदार/रों नामतः **(1) मैसर्स आरसीसी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पता – 14 भू तल, विपुल अगोरा, एमजी रोड, सेक्टर–28, गुरूग्राम, हरियाणा–122001, ("कर्जदार") और (2) श्री रवि कुमार जैन, (3) श्री लव जैन, (4) सुश्री नीरू जैन तथा (5) मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर/कार्पोरेट गारंटर/बंधकदाता) की तरफ 20–07–2020 तक बकाया रु. 16,44,04,658.32/– (रूपए सोलह करोड़ चौवालीस लाख चार हजार छह सौ अठ्ठावन तथा पैसे बत्तीस मात्र)** भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक 03 जनवरी, 2024 को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और नीलामी कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर)/धरोहर राशि जमा
लॉट 1	मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	गैर–कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित परिसर/भवन बेसमेंट (परिमाप 1169 वर्ग फीट) ; प्रथम तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; द्वितीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; तृतीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; छत के अधिकारों के साथ, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 4/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा उसके सभी अधिकारों, उपभोग अधिकारों सहित, जो सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत हैं और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है —— उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड	रु. 6,54,55,000/– (रूपए छह करोड़ चौवन लाख पचपन हजार मात्र) रु. 65,45,500/– (रूपए पैंसठ लाख पैंतालीस हजार पांच सौ मात्र)
लॉट 2	मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सम्पूर्ण बेसमेंट (परिमाप 1169 वर्ग फीट) ; छत के अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 1/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी स्ट्रक्चर्स और मशीनरी, यदि कोई, और उसके सभी उपभोगाधिकार/मामूल अधिकारों के साथ। उसके सभी अधिकारों, उपभोग अधिकारों सहित, जो सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत हैं और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है —— उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड	रु. 85,09,000/– (रूपए पिचासी लाख नौ हजार मात्र) रु. 8,50,900/– (रूपए आठ लाख पचास हजार नौ सौ मात्र)
लॉट 3	मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सम्पूर्ण प्रथम तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) छत के अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 1/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी स्ट्रक्चर्स और मशीनरी, यदि कोई, और उसके सभी उपभोगाधिकार/मामूल अधिकारों के साथ। उसके सभी अधिकारों, उपभोग अधिकारों सहित, जो सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत हैं और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है —— उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड	रु. 1,89,82,000/– (रूपए एक करोड़ नवासी लाख बयासी हजार मात्र) रु. 18,98,200/– (रूपए अठारह लाख अठ्ठानवे हजार दो सौ मात्र)
लॉट 4	मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सम्पूर्ण द्वितीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) छत के अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 1/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी स्ट्रक्चर्स और मशीनरी, यदि कोई, और उसके सभी उपभोगाधिकार/मामूल अधिकारों के साथ। उसके सभी अधिकारों, उपभोग अधिकारों सहित, जो सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत हैं और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है —— उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड	रु. 1,89,82,000/– (रूपए एक करोड़ नवासी लाख बयासी हजार मात्र) रु. 18,98,200/– (रूपए अठारह लाख अठ्ठानवे हजार दो सौ मात्र)
लॉट 5	मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सम्पूर्ण तृतीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) छत के अधिकार नहीं, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 1/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी स्ट्रक्चर्स और मशीनरी, यदि कोई, और उसके सभी उपभोगाधिकार/मामूल अधिकारों के साथ। उसके सभी अधिकारों, उपभोग अधिकारों सहित, जो सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत हैं और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है —— उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड	रु. 1,89,82,000/– (रूपए एक करोड़ नवासी लाख बयासी हजार मात्र) रु. 18,98,200/– (रूपए अठारह लाख अठ्ठानवे हजार दो सौ मात्र)

✱✱✱ यदि बिड्स लॉट–1 और अन्य लॉट्स (लॉट –2, 3, 4 और 5) के लिए प्राप्त होती हैं तो प्राथमिकता अधिमान लॉट–1 के लिए प्रस्तुत संयुक्त बिड को दिया जाएगा।
- सभी लॉट्स के लिए ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि :– 02 जनवरी, 2024 अप. 4.00 बजे तक
- ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 03 जनवरी, 2024 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक लॉट–1 के लिए
- ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 03 जनवरी, 2024 अप. 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक लॉट –2, 3, 4 और 5 के लिए

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से **03 जनवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, लॉट–1 के लिए आयोजित की जाएगी। लॉट–1 के तहत सम्पूर्ण सम्पत्ति की नीलामी का प्रयास असफल होने की स्थिति में ई–नीलामी लॉट –2, 3, 4 और 5 क्रमानुसार के लिए अप. 1.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी।**
2. ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल : delhi@clindia.com और support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर. 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.**
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
5. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
6. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर **02 जनवरी, 2024 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक** केवल ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी dipanshu.singh@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स आरसीसी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड"** के खाते में के क्रय हेतु" और उस लॉट का नंबर स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, जिसके लिए बिड दी जा रही है।
7. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
8. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : **KKBK0000958, 02 जनवरी, 2024 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और मैं जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
9. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली लॉट 1 के लिए रुपये 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) और लॉट –2, 3, 4 और 5 क्रमानुसार के लिए रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी।
10. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
11. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वी.ति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
12. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
13. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. आयोजित नीलामी के लिए सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह नोट करें कि लॉट–1 यानी सम्पूर्ण सम्पत्ति की नीलामी के मामले में उच्चतम बोलीदाता को बैंक में बंधक प्रभार सृजन हेतु जमा मूल स्वामित्व विलेख दिए जाएंगे, तथापि लॉट –1 के लिए नीलामी असफल होने की स्थिति में लॉट –2, 3, 4 और 5 के लिए नीलामी सम्पन्न होने पर उच्चतम बोलीदाता को लॉट –2, 3, 4 और 5 के संबंध मे नोटरी प्रमाणित/स्वामित्व विलेख की प्रमाणीकृत प्रति प्रदान की जाएगी तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति हेतु मूल स्वामित्व विलेख उनकी अभिरक्षा में उक्त विलेखों के अभिरक्षक के तौर पर रखी जाएगी। यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि लॉट –2, 3, 4 और 5 के लिए उच्चतम बोलीदाता आम उपयोग तथा जीना सहित आम सुविधाओं पर पूर्ण स्वामित्व, अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित का दावा नहीं कर सकते हैं और उन सभी को सम्पूर्ण सम्पत्ति के नीचे भूमि, कॉमन एरिया, सुविधाओं तथा सभी भवनों, स्ट्रक्चर्स, संस्थापनों, फिटमेंट्स, यदि कोई, जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध पर अविभाजित यथानुपात हिस्सा का अधिकार होगा।
17. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
18. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
19. यदि बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, तो बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
20. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक सम्पत्ति के लिए बोली देने का इच्छुक है तो उसको उपरिवर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग बोली जमा करनी होगी।
21. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
22. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक को माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–1, दिल्ली के समक्ष सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शीर्षक के प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 213/2022 के अतिरिक्त किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है, जो न्याय निर्णयन हेतु लम्बित है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें।
23. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
24. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा।
25. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा।
26. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–आईए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पैन नंबर– AAJCS2042Q के नाम में टीडीएस (1%) काटकर उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
27. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" ,"जो कुछ भी है वहां है आधार"** और **"कोई उपाय नहीं आधार"**यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्र.ति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड / नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा के आधार पर होगी।
28. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित /रद्द /स्थगित /बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
29. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले / बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी / बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
30. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
31. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों / आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
32. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
33. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं।
34. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
35. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नंबर +91–9953965199)/श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नंबर +91–9667221449) या बैंक के अधिकारी श्री लोकेश रेहानी (मोबाइल नंबर +91–9310144281) से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत अनुवर्ती बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत संपत्ति" (उपरि वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 14–12–2023 | **वास्ते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

NAGAR NIGAM, GORAKHPUR

Ref No: 442/CE/PWC/2023-24 | Date: 15.12.2023

Expression of Interest (EOI)

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FROM ANY PRIVATE/ FIRM/NGO/ORGANISATION FOR RENOVATION, REDEVELOPMENT AND OPERATION & MAINTENANCE OF LAL DIGGI PARK IN GORAKHPUR ON PPP MODE

Nagar Nigam Gorakhpur invites Expression of Interest for Redevelopment and Operation & maintenance of Lal Diggi Park in Gorakhpur on PPP Mode.

The Bidders have to participate through Online E-Procurement website **http://etender.up.nic.in.** EOI document can be seen and obtained from website **http://etender.up.nic.in.**

Interested bidders/Firms may view and download EOI document and upload their proposals, duly filled, online as per schedule given below:-

S.No.	Description	Date
1	Start date for document download	18.12.2023
2	Date of Pre-bid meeting	22.12.2023, 11:00 AM
3	Last Date of Online submission of proposal	29.12.2023, 03:00 PM
4	Opening of proposal	29.12.2023, 03:30 PM

For the further details contact during office hour on phone number **8810709336**

Chief Engineer, Nagar Nigam, Gorakhpur | **Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Gorakhpur**

कार्यालय नगर पालिका परिषद डिबाई जनपद बुलन्दशहर

पत्रांक:470 /न.पा.परि.डि./2023-24 | दिनांक:15.12.2023

अति अल्पकालीन ई- निविदा आमंत्रण सूचना

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को सफल बनाने हेतु नगर में विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंन्टिग व चित्रकारी का कार्य किये जाने हेतु प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण एवं प्रपत्र व नियम व शर्ते उत्तर प्रदेश ई- प्रिक्योरमेन्ट की बेवसाईट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से सम्बन्धित सूचना जनपद बुलन्दशहर की बेवसाईट http://www.bulandshahr.nic.in तथा पालिका की बेवसाईट www.nppdibai.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्ते किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका परिषद डिबाई से प्राप्त की जा सकती है।

Publishe date and time for Ref	16.12.2023 को प्रातः 11.00 बजे से
Last date and time for submission to E- tender	29.12.2023 को सायं 5.00 बजे तक
Date and time of opening Tender	30.12.2023 को प्रातः 11.00बजे तक

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद डिबाई, जनपद -बुलन्दशहर | **अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद डिबाई, जनपद -बुलन्दशहर**

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाईः मोहिउद्दीनपुर (मेरठ)

क्रमांकः मोहि0/सिविल/2023–24/1128 | दिनांक 15.12.2023

ई–निविदा सूचना

इकाई में निम्न कार्यो हेतु ई–निविदा दिनांक **26.12.2023** दोपहर **2.00** बजे तक आमंत्रित की जाती है। टेण्डर डाक्युमेन्ट विस्तृत नियम व शर्तो के साथ उ0प्र0 शासन की ई–प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

1. गोदाम संख्या–2 की पुर्नछाजनी, **Vacuum Dewatering Flooring** एवं अन्य मरम्मती कार्य।

किसी एक अथवा समस्त निविदा/निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(कुमार धर्मेन्द्र) पीसीएस, प्रधान प्रबन्धक

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग

प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम – 612 001, **ई–मेल आईडी :** crmd@city@cityunionbank.in, **फोन :** 0435–2432322, **फैक्स :** 0435–2431746

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड**, जिसका **प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम – 612 001 में** तथा एक शाखा कार्यालय **सी–53, भू तल, शशि गार्डन, फेज–1, मयूर विहार, दिल्ली –110091** में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **17–07–2023** जारी की थी, जिसमें कर्जदारों **क्रमांक 1) श्री आशीष बंसल पुत्र ब्रह्म प्रकाश बंसल, नंबर 123/1 एवं 123ए, घरोंदा नीम का बांगर, ग्राम पटपड़गंज, मयूर विहार, फेज–1, दिल्ली–110091. 2) श्रीमती माधुरी बंसल पत्नी ब्रह्म प्रकाश बंसल, नंबर 123/1 एवं 123ए, घरोंदा नीम का बांगर, ग्राम पटपड़गंज, मयूर विहार, फेज–1, दिल्ली–110091** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रू. 39,68,971/– (रूपए उन्तालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) दिनांक 15–07–2023** से आगे मासिक अंतरालों पर ब्याज के साथ उक्त सूचना की तिथि से **60** दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरोक्त नामक कर्जदार उपरि संदर्भित सांविधिक सूचना की प्राप्ति के बावजूद राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतएव उपरोक्त नामक कर्जदारों और सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 12 दिसम्बर, 2023 को प्राप्त कर लिया है।

उपरोक्त नामक कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्व साधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की बकाया राशि **रू. 40,83,146/– (रूपए चालीस लाख तिरासी हजार एक सौ छियालीस मात्र)** तथा उस पर **दिनांक 27–09–2023** से पूर्ण राशि चुकता किए जाने तक आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हमारे बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति

अनुसूची – क

(श्रीमती माधुरी बंसल पत्नी ब्रह्म प्रकाश बंसल द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति)

निर्मित सम्पत्ति सं. 110, क्षेत्रफल परिमाप 25 वर्ग गज यानी 20.91 वर्ग मीटर, छत के अधिकार और उस पर आखिरी मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, बिजली और पानी कनेक्शन सहित, खसरा नंबर 490/106, लाल डोरा आबादी डेह के भीतर, ग्राम पटपड़गंज, ग्राम घरांदा नीमका बांगर उर्फ पटपड़गंज, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110091. चौहद्दी निम्नानुसार :– पूरब : रोड, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति,

स्थान : दिल्ली, तिथि :12–12–2023 | **प्राधिकृत अधिकारी**

पंजी. कार्यालय : 149, टी.एस.आर. (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, **तमिलनाडु** – 612 001, **सीआईएन** – L65110TN1904PLC001287
फोन नंबर : 0435 – 2402322, **फैक्स :** 0435 – 2431746, **वेबसाइट :** www.cityunionbank.com